मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 6–75/2019/सात/शा.3 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर, 2020

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश, 2020 लागू होने के संबंध में।

विषयांतर्गत, विभागीय **अधिसूचना कमांक एफ 6–75/2019/सात/शा.3** दिनांक 24/09/2020, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 24/09/2020 को प्रकाशित हुई, द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के निम्न विवरण अनुसार परिपत्रों –

(क) **खण्ड एक कमांक–5** – ऐसी भूमियों का जो राज्य की सम्पत्ति हो, हस्तांतरण या अदला–बदली;

(ख) **खण्ड एक कमांक–6** – व्यावसायिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये शासकीय भूमि का हस्तांतरण अदला–बदली या पट्टे पर दिया जाना;

(ग) **खण्ड एक कमांक–7** – भारत शासन के विभागों, मंत्रालयों, इकाइयों या सार्वजनिक उपकमों की मध्यप्रदेश राज्य में विकास योजनाओं के लिए शासन की भूमि का हस्तांतरण;

(घ) **खण्ड चार कमांक–1** – नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगरों तथा अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर नजूल भूमियों की विधि तथा व्यवस्था;

(ङ) विभाग का राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक 3 की कंडिका 20 के अदला बदली के वर्तमान प्रावधान में संशोधन–नवीन कंडिका 20 का प्रतिस्थापन विषयक परिपत्र कमांक एफ 16–49/2010/सात/2ए दिनांक 12 सितम्बर, 2011;

(च) गैर वनपड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति परिपत्र क्रमांक 1873–एफ–4–7/96/सात/2ए दिनांक 04.10.2006; और

(छ) उपरोक्त परिपत्रों के संदर्भ में समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश, हिदायतें या परिपत्र, चाहे वे उक्त परिपत्रों के विषय में उन्हें स्पष्ट करने के लिए जारी किए गए हों या उनमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिये जारी किए गए हों;

को निरसित करते हुए उनके स्थान पर **मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020** प्रभावशील किये गये हैं।

2/ अतः नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वर्तन के सम्बन्ध में **मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020** अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए।

(प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा अनुमोदित)

(मुजीबुर्रहमान खान) 25/9/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक एफ. 6-75/2019/सात/शा.3 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश,
2. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव 25/9/2020
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग